निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 415) पटना, वृहस्पतिवार, 25 अगस्त 2011

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2011

सं0 7/नि॰ (विधि–04)–अधिनियम–51/2006/3941—बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2010 में विहित प्रावधानों के आलोक में दोनों अधिनियमों के अंतर्गत निबंधित सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ दिनांक 02 अगस्त 2010 के प्रभाव से एक समिति के रूप में पुनर्गठित हो गई हैं। उक्त तिथि से प्रखंड अंतर्गत विद्यमान सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ, जिसका कार्य क्षेत्र प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, एक समिति में संविलयित मानी जाएगी तथा एक नयी समिति के रूप में स्वतः निबंधित समझी जाएगी।

इस प्रसंग में सहकारिता विभाग के पत्रांक 4217, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में राज्य की सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को संविलयित कर प्रखंड में एक प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पुनर्गठन/निबंधन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारियों (जिन्हें बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के तहत निबंधक की शक्तियाँ प्रदत्त हैं) को वांछित अनुदेश निर्गत किया गया है। उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन तथा निर्गत परिपत्र के आलोक में राज्य के अधिकांश प्रखंडों में पुनर्गठन/निबंधन का कार्य समाप्त हो चुका है, परन्तु कतिपय प्रखंडों में किसी समिति का वांछित कागजात/अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके पुनर्गठन/संविलयन में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है।

अतः अधिनियम के प्रसंगिक प्रावधान को प्रभावी बनाने तथा उत्पन्न कठिनाई को दूर करने हेतु बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा–65 (बी॰) के तहत राज्य सरकार ने समीक्षोपरांत निम्नलिखित निदेश दिया जाता है :–

(1) प्रखंडस्तरीय संविलयित मत्स्यजीवी सहयोग समिति से सम्बद्ध होने वाले सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को विधिवत रूप से नोटिस निर्गत करते हुए उनसे सभी वांछित अभिलेख/कागजात यथा– सदस्यता सूची, सदस्यता एवं हिस्सा बही, सभा बही, रसीद बही, उप–विधि इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु निदेश निर्गत किया जाये एवं नोटिस का तामिला सुनिश्चित कराया जाये।

(2) नोटिस का तामिला होने की तिथि के एक सप्ताह के उपरान्त भी यदि सम्बन्धित समिति से सभी वांछित अभिलेख नहीं प्राप्त होते हैं तो वैसी स्थिति में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा कम–से–कम दो समाचार–पत्रों के स्थानीय संस्करण में आम सूचना प्रकाशित कराकर एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त वर्णित अभिलेख की माँग की जाये।

(3) उक्त आम सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर यदि सम्बन्धित समिति के मंत्री/मुख्य कार्यपालक द्वारा सभी वांछित उपरोक्त वर्णित अभिलेख जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह मानने का पर्याप्त आधार होगा कि उक्त समिति विधिवत रूप से कार्य नहीं कर रही थी एवं तद्नुसार उक्त समिति को प्रखंडस्तरीय संविलयित मत्स्यजीवी सहयोग समिति से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा तथा ऐसी समिति के सदस्यों को प्रखंडस्तरीय संविलयित मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा तथा उन्हें छोड़कर प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के तदर्थ कमिटी के निर्वाचन/गठन की कार्रवाई एवं राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्रखंडस्तरीय संविलयित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल के प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 415-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in